



2026:AHC:7437

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 8165 वर्ष 2021

शाहिद खान और एक और

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता, प्रतीक कुमार

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव और राज्य प्रतिवादी गणों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. चूंकि प्रति-शपथपत्र और प्रत्योत्तर शपथपत्रों का आदान-प्रदान किया गया है। प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने कोई और शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं किया है और एक कथन दिया है कि याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इस प्रकार पक्षकारों की सम्मति से, रिट याचिका के स्वीकृति के स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला, जैसा कि रिट याचिका में पेश किया गया है, यह है कि मूल रिट याचिकाकर्ता, अर्थात् निशार अहमद (मृतक के रूप में), जिसकी जन्म तिथि 01.01.1959 थी और उसे जून, 1988 के माह में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे 01.03.2003 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यूनतम वेतनमान दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी गणों द्वारा याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को 01.01.1950 मानते हुए आदेश पारित किए गए और 60 वर्ष पूरे होने के बाद, उसे 31.12.2009 को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया, रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतन रोकने के आदेश पारित किए गए, और एक परिणामी आदेश भी पारित किया गया। मूल रिट याचिकाकर्ता, स्वर्गीय निशार अहमद (अब से मृतक) की मृत्यु 14.05.2013 को हुई थी। चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा था और उसकी सेवाओं को भी नियमित नहीं किया गया था, हालांकि वह उस दिनांक को नियमित होने का हकदार था, जब कनिष्ठों को नियमित किया गया था और आगे रिट याचिकाकर्ता संख्या 1, जो मृतक का बेटा है ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था, इसलिए उन्होंने रिट ए संख्या 5272 वर्ष 2015 (शाहिद खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) को वरीयता दी, जिसमें 29.11.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"I. यह रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 16.2.2012 के एक आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के पिता को न्यूनतम वेतन पर रोक लगा दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि की स्पष्टता के संबंध में जांच करने के लिए एक और निर्देश दिया गया है। दिनांक 6.6.2013 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता के नियमितीकरण के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वह 31 दिसंबर, 2009 को सेवानिवृत्त हो गए थे, और इसलिए जब उनके कनिष्ठों को नियमितीकरण के लिए माना गया था तो वह सेवा में नहीं थे।

II. यह अभिलेख स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता और याचिकाकर्ता 2 के पति स्वर्गीय निशार अहमद को जून, 1988 में राज्य के वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रेणी-IV कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने काम करना जारी रखा और वर्ष 2003 में पारित एक विशिष्ट आदेश द्वारा, उन्हें न्यूनतम वेतनमान में मजदूरी की स्वीकृति दी गई। उन्होंने काम करना जारी रखा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और न्यूनतम वेतनमान में वेतन भी प्राप्त किया। केवल आक्षेपित आदेशों द्वारा ही याचिकाकर्ता के पिता की सही जन्म तिथि के बारे में संदेह पैदा किया गया था। अभिलेखों से यह भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम पुट्टी लाल, 2002 (2) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय और शैक्षणिक संस्थान 1595 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी। वरिष्ठता सूची रिट याचिका के अनुलग्नक-3 में है और यह जारी नहीं है। याचिकाकर्ता के पिता का नाम क्रम संख्या 14 में उल्लिखित है और उनकी जन्म तिथि 1.1.1959 के रूप में दर्ज की गई है और उनकी योग्यता 8वीं पास के रूप में दिखाई गई है। वन विभाग में नियुक्ति का वर्ष 1988 और 1.3.2003 से न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के वर्ष के रूप में दिखाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों को उपरोक्त वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर रखा गया था, उन्हें 24.10.2011 को नियमित कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता के पिता के दावे को स्पष्ट रूप से इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया था कि उनकी जन्म तिथि 1.1.1950 थी, और परिणामस्वरूप, वह उस दिनांक को सेवानिवृत्त हो गए थे जब उनके कनिष्ठों को नियमितीकरण के लिए माना गया था।

III. प्राधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि याचिकाकर्ता के पिता की सही जन्म तिथि 1.1.1959 है, जैसा कि वरिष्ठता सूची में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और इसलिए प्राधिकारी उनकी जन्म तिथि को 1.1.1950 नहीं मान सके। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 16.2.2012 के आदेश के तहत बाद में की गई जांच में, संबंधित शैक्षिक प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि 1.1.1959 प्रमाणित की है।

IV. रिट याचिका में की गई दलीलों का विरोध करते हुए एक प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है।

V. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख के सामग्री का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

VI. वरिष्ठता सूची में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि 1.1.1959 है, बाद में की गई जांच कार्यवाही में, उच्च प्राथमिक संस्थान जिससे याचिकाकर्ता के पिता ने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि 1.1.1959 है। सेवा पुस्तिका की छायाप्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें जन्म तिथि पर 1.1.1950 के रूप में एक स्पष्ट अभिलेख प्रतीत होता है, और यह स्पष्ट नहीं है कि जन्म तिथि 1.1.1950 या 1.1.1959 है या नहीं। प्रतिवादी गणों का सुसंगत अभिलेख स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि 1.1.1959 दर्ज की गई थी। प्रत्योत्तर शपथपत्र के पैरा 4 में भी यह कहा गया है कि हालांकि जन्म तिथि का उल्लेख शुरू में 1.1.1950 बताया गया था, लेकिन इसे 1.1.1959 के रूप में ठीक किया गया था।

VII. ऊपर रखी गई और संदर्भित सामग्रियों से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी गणों के सभी प्रासंगिक अभिलेखों में याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि 1.1.1959 बताई गई है। प्रत्योत्तर शपथपत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की जन्म तिथि 1.1.1959 के रूप में सही की गई थी। यह संबंधित शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुरूप प्रतीत होता है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के पिता का जन्म वर्ष 1959 है। यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता से कनिष्ठ व्यक्तियों को वर्ष 2011 में नियमित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी गणों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने से इनकार करने में केवल इस आधार पर न्याय नहीं किया जाएगा कि जब तक उसके कनिष्ठों नियमित हो गए तब तक उसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी।

VIII. परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल होती है और इसकी स्वीकृति दी जाती है। दिनांक 16.02.2012 और 6.6.2013 के आदेशों को अभिखंडित कर दिया जाता है। प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फिर से विचार करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति



प्रस्तुत करने की दिनांक से चार माह के भीतर सभी परिणामी लाभों का विस्तार करें, जो याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य होंगे। अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 1 के दावे पर भी विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।”

4. उक्त आदेशों के पारित होने के बाद, अब रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए मिर्जापुर रेंज के प्रभागीय वन प्राधिकारी द्वारा 09.04.2021 को आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं।
5. उसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि विचाराधीन आदेश उस मुद्दे को फिर से खोलने का प्रयास करता है जिसे अंतिम रूप दिया गया है, विशेष रूप से, जब इस न्यायालय ने मुकदमेबाजी के पहले के दौर में, पहले ही रिट याचिकाकर्ता के जन्म तिथि 01.01.1959 निर्धारित कर दी थी और, इस प्रकार, वह केवल वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हो सके और गलत तरीके से वह वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हो गए। प्रस्तुत करना यह है कि इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया कोई भी निष्कर्ष प्रतिवादी गणों के लिए बाध्यकारी है, और इसके अलावा वे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए किसी अन्य सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते हैं, जिसमें विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए थे अर्थात् रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 01.01.1959 थी। आगे प्रस्तुत किया गया है कि मूल याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को भी नियमित किया गया था, जिनके नाम दिनांक 24.10.2011 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 16, 17 और 18 में स्थान प्राप्त करते हैं। निवेदन यह है कि एक बार जब कनिष्ठों को नियमित कर दिया गया और मूल याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं था, तो उसकी सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए था और एक बार जब मूल याचिकाकर्ता की सेवाओं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को नियमित कर दिया जाएगा, तो रिट याचिकाकर्ता के पास अनुकंपा नियुक्ति का दावा होगा।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने प्रस्तुत किया कि जो भी हो, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एक जांच की गई थी, इसके अनुसार यह पाया गया कि रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 01.01.1950 है और वह वर्ष 2009 में सही रूप से सेवानिवृत्त हुआ था। आगे प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 1997 में आठवीं कक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया था, इस प्रकार यह विरोधाभासी और आश्चर्यजनक होगा कि रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी गणों की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में शामिल हो सकता था। इसके अलावा, वह प्रस्तुत करता है कि ऐसे अभिलेख होते हैं जो मूल रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 01.01.1950 दर्शाते हैं।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख को ध्यान से देखा है।
9. जाहिर है, पक्षकारों के बीच विवाद की जड़ यह है कि मूल रिट याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 01.01.1950 या 01.01.1959 है या नहीं। इस न्यायालय ने, मुकदमेबाजी के पहले के दौर में, राय दी थी और निष्कर्ष दर्ज किया था कि प्रतिवादी द्वारा दिखाए गए अभिलेख के साथ-साथ प्रत्योत्तर शपथपत्र में निहित कथनों के अनुसार, मूल याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 01.01.1959 थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त निष्कर्ष पर कोई संदेह नहीं है और मुकदमेबाजी के पहले के दौर में पारित निर्णय और आदेश को अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी गणों के लिए उस मुद्दे को फिर से खोलने के लिए खुला नहीं है जिसने समयसीमा प्राप्त कर ली है और जो पारस्परिक रूप से बाध्यकारी है।
10. वर्तमान स्थिति के समान एक प्रश्न इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष **सिविल विविध रिट याचिका संख्या 22808 वर्ष 2003 (भारत संघ बनाम प्रवीण कुमार**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अन्य) में 22.05.2003 को निर्णय दिया गया, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिए गए:

"इस प्रकार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण द्वारा अपने निर्णय और आदेश दिनांक 2.4.2002 में पहले दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों के गुण-दोष और शुद्धता जो भी हो, याचिकाकर्ता भारत संघ के लिए यह नहीं था कि वह अधिकरण के ऊपर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठकर इस मुद्दे को फिर से खोल सके। इसे अधिकरण द्वारा पारित आदेश के निष्पादन/कार्यान्वयन की एक सीमित भूमिका सौंपी गई थी और किसी भी तरह से यह उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में बैठने की क्षमता नहीं रख सकता था, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता भारत संघ द्वारा पारित दिनांक 7.5.2002 के आदेश को दिनांक 31.3.2003 के निर्णय और आदेश द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है। हम श्री बी.एन.सिंह द्वारा राजीव यादव (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों में कोई बल नहीं पाते हैं क्योंकि उक्त मामले के तथ्य काफी अलग हैं और उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। एक बार यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में अंदरूनी उम्मीदवार के लिए उपलब्ध एक रिक्ति सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए थी जिसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा नहीं भरा जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त रिक्ति के विरुद्ध आवंटन की वैध उम्मीद थी।

इस प्रकार उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता भारत संघ ने दिनांक 7.5.2002 का आदेश पारित करते समय योग्यता/अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया था क्योंकि इसे कभी भी अधिकरण के निर्णय और आदेश पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की भूमिका नहीं सौंपी गई थी। इसे दिनांक 2.4.2002 के निर्णय और आदेश के निष्पादन की एक सीमित भूमिका सौंपी गई है। अधिकरण द्वारा दिनांक 31.3.2002 के निर्णय और आदेश के माध्यम से आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया गया है। यह मामला न्यायिक समीक्षा के सीमित अधिकार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने वाली कोई विशेष विशेषता प्रस्तुत नहीं करता है।

इसलिए याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। ”

11. वास्तव में, यह न्यायालय इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्षों को पलट या परेशान नहीं कर सकता है, वह भी प्रतिदाताओं के कहने पर, विशेष रूप से, जब उक्त आदेश अंतिम रूप से प्राप्त कर चुके हैं और पारस्परिक रूप से बाध्यकारी हैं। अब, यदि उपरोक्त निष्कर्षों को इसके अंकित मूल्य पर ले जाया जाता है, तो यह सामने आएगा कि मूल रिट याचिकाकर्ता के जन्म तिथि 01.01.1959 होगी, इस प्रकार उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अर्थात् 2019 तक जारी रहना होगा। चूंकि यह मूल रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि याचिकाकर्ता के कनिष्ठ, अर्थात्, जो क्रम संख्या 16 में थे, श्री निर्मल, क्रम संख्या 17, श्री अशोक कुमार सिंह और क्रम संख्या 18, श्री मलाई को नियमितीकरण प्रदान किया गया था और फिर मरणोपरांत नियमितीकरण के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाना है। चूंकि मामले के उपरोक्त पहलुओं पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:

- (a). प्रतिवादी संख्या 3, प्रभागीय वन प्राधिकारी, मिर्जापुर द्वारा पारित दिनांक 09.04.2021 के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है।
- (b). विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस भेज दिया जाता है।

13. परिणामी लाभों के प्रश्न के साथ-साथ रिट याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर उसके बाद तीन माह के भीतर विचार किया जाएगा।

14. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।